संख्या: 21 /60–1–14–1/13(71)/06

प्रेषक,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 दिनांक : लखनऊ : 08 जनवरी, 2015

विषय– समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित राजकीय बाल गृह (शिशुओं) में 0 से 06 वर्ष की आयु के 10 शिशुओं के लिए स्थापित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, चिकित्सक, आया एवं चौकीदार के प्रचलित मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत **स्थापित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाई** के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार के पत्र सं0–DOC –14–3/2012–13–CW-II दिनांक 03.03.2014 से वृद्धि की गयी है।

उक्त के कम में शासन द्वारा पत्र सं0–01/60–1–15–1/13(71)/06, दिनांक 05.01.2015 द्वारा समस्त घटकों में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

2– उपरोक्त के कम में राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण इकाईयों में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता का मानदेय रू0 8000/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 14000/– प्रतिमाह, नर्स रू0 5000/– से बढ़ाकर रू0 9000/– प्रतिमाह, अंशकालिक चिकित्सक रू0 3000/– से बढ़ाकर रू0 7500/– प्रतिमाह, आया रू0 2000/– से बढ़ाकर रू0 6000/– प्रतिमाह तथा चौकीदार रू0 2000/– से बढ़ाकर रू0 6000/– प्रतिमाह तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या– 49 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–योजनायें–12–विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण–016–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान नाम से डाला जाएगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)
निदेशक

———2,

संख्या–   (1)/60–1–14 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– संबंधित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उपसचिव।